

नियंत्रण सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 266]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी-10, 2009/चाप 21, 1930

No. 266]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2009/MAGHA 21, 1930

उपभोजना मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(स्वयंसेवा वाले विभाग)

(बी.आई.एस. अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2009

का.आ. 438(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एन.डी.ए. भारत के असाधारण, राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, उपभोजना मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोजना मामलों विभाग) के आदेश संख्या का.आ. 2173(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

इसलत और इसलत उत्पार (मुद्रा निबंधन) द्वितीय आदेश, 2008 में —

- पैरा 1 के उप-पैरा (2) में "12 फरवरी, 2009" अंकों और शब्दों के स्थान पर "12 फरवरी, 2010" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- अनुसूची में, कॉलम (1) में भारतीय मानक 1786, 1993 और 2062 तथा कॉलम (2) में उनसे संबंधित प्रविष्टियां का नाम [अपना] जाएगा ।

[फा. सं. 5/13/2004-बी आई एस]

संजय सिंह, अनुकूल संबंध

टिप्पण्य — मूल आदेश भारत के सरकारी राजपत्र में सं. का.आ. 2173(अ) दिनांक 9 सितम्बर, 2008 के तहत अधिसूचित किया गया था ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BIS Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10 February, 2009

S.O. 438(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, hereby makes the following amendment in the ORDER of Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, vide No.S.O. 2173 (E), dated the 9th September, 2008, namely :—

In the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2008.—

- in sub-paragraph (2) of paragraph 1, for the figures, words "12 February, 2009", the figures, words, "12th February, 2010" shall be substituted,
- in the Schedule, in Column (1), Indian Standards 1786, 1993 and 2062 and entries relating thereto in Column (2) shall be omitted.

[F. No. 5/13/2004-BIS]

SANJAY SINGH, Jr. Secy.

Note :— The principal Order was notified vide No. S.O. 2173 (E) dated 9th September, 2008



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 10, 2010/माघ 21, 1931

No. 266]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 10, 2010/MAGHA 21, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

(बी.आई.एस. अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2010

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

ORDER

New Delhi, the 9th February, 2010

का.आ. 308(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 9 सितम्बर, 2008 के आदेश संख्या का.आ. 2173(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणता नियंत्रण) द्वितीय आदेश में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में अनुसूची में स्तम्भ (1) में भारतीय मानक 648, 3024, 15391, 2002, 2041, 2830 और 2831 और स्तम्भ (2) में उनसे संबंधित प्राविष्टियां छोड़ दी जाएं।

[फा. सं. 5/13/2004-बीआईएस (वालयूम-V)]

संजय सिंह, संयुक्त सचिव

नोट.—मूल आदेश भारत के राजपत्र में का.आ. 2173(अ), दिनांक 9 सितम्बर, 2008 के तहत अधिसूचित किया गया था जिसको बाद में का.आ. 438(अ), दिनांक 10 फरवरी, 2009 के द्वारा संशोधित किया गया।

S.O. 308(E).—In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order of Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 2173(E), dated the 9th September, 2008, namely :—

In said Order, in the Schedule, in Column (1), Indian Standards 648, 3024, 15391, 2002, 2041, 2830 and 2831 and entries relating thereto in Column (2), shall be omitted.

[F.No. 5/13/2004-BIS-(Vol.-V)]

SANJAY SINGH, Jt. Secy.

Note.—The principal Order was notified vide S.O. 2173(E), dated the 9th September, 2008 which was subsequently amended vide Order published in the Official Gazette vide S.O. 438(E), dated 10th February, 2009.

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]

नई दिल्ली, भंगलवार, फरवरी 10, 2009/माघ 21, 1930

No. 266]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2009/MAGHA 21, 1930

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(उपभोक्ता मामले विभाग)  
(बी.आई.एस. अनुभाग)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2009

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION  
(Department of Consumer Affairs)  
(BIS Section)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 10 February, 2009

का.आ. 438(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, भारत के अस्तित्व, राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के आदेश संख्या का.आ. 2173(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2008 में विम्वलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

S.O. 438(E).— In exercise of the powers conferred by Section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government, hereby makes the following amendment in the ORDER of Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, vide No.S.O. 2173 (E), dated the 9th September, 2008, namely :-

इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणत नियंत्रण) द्वितीय आदेश, 2008 में, —

In the Steel and Steel Products (Quality Control) Second Order, 2008.—

- (i) पैरा 1 के उप-पैरा (2) में "12 फरवरी, 2009" अंकों और शब्दों के स्थान पर "12 फरवरी, 2010" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) अनुसूची में, कॉलम (1) में भारतीय मानक 1786, 1993 और 2062 तथा कॉलम (2) में उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(i) in sub-paragraph (2) of paragraph 1, for the figures, words "12 February, 2009", the figures, words, "12th February, 2010" shall be substituted.

(ii) in the Schedule, in Column (1), Indian Standards 1786, 1993 and 2062 and entries relating thereto in Column (2) shall be omitted.

[फा. सं. 5/13/2004-बी आई एस]

[F. No. 5/13/2004-BIS]

संजय सिंह, संपुक्त सचिव

SANJAY SINGH, Jr Secy.

टिप्पण :- मूल आदेश भारत के सरकारी राजपत्र में सं. का.आ. 2173(अ) दिनांक 9 सितम्बर, 2008 के तहत अधिसूचित किया गया था ।

Note :- The principal Order was notified vide No. S.O. 2173 (E) dated 9th September, 2008.